

उद्देश्य और कारण का कथन

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत हिमालयन विश्वविद्यालय नाम का ट्रेडमार्क होने एवं हिमालयन विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश व हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री

हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.....वर्ष, 2021)

हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय" शब्द रख दिये जायेंगे।

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

Statement of Objectives and Reasons

In a view of, the Himalayan University being a trademark under The Trade Mark Act, 1999 and the agreement between Himalayan University, Itanagar, Arunachal Pradesh and Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal; it is expedient to amend the name of the Himalayan Garhwal University.

2- The proposed Bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

The Himalayan Garhwal University (Amendment) Bill, 2021 (Uttarakhand Bill No. Year, 2021)

A Bill

further to amend in the Himalayan Garhwal University Act, 2016.

Be it enacted by Uttarakhand State Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|------------------------------|---|
| Short title and Commencement | 1. (1) This Act may be called the Himalayan Garhwal University (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once. |
| Amendment in the Act | 2. In the Himalayan Garhwal University Act, 2016, (hereinafter referred to as principal Act) for the words “Himalayan Garhwal University” wherever they occurs the words, “Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University” shall be substituted. |
| Saving | 3. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act. |

खण्डवार ज्ञापन

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 3 में व्यावृत्ति हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को संशोधित किये जाने विषयक है।

2— प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में नाम संशोधन मात्र है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री